भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1170
उत्तर देने की तारीख : 11.02.2025

ब्रेल साक्षरता

1170. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :
श्री योगेन्द्र चांदोलिया :
श्री अनुराग शर्मा :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि को मुख्यधारा के शैक्षणिक संस्थानों में शामिल करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए किए गए महत्वपूर्ण पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में ब्रेल साक्षरता बढ़ाने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की सहायता करने के लिए समर्पित है। इस पहल के हिस्से के रूप में, शैक्षिक सामग्रियों में ब्रेल

के उपयोग को बढ़ावा देने और शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धतियों में ब्रेल को शामिल करने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से एक यूनिवर्सल डिजाइन सेंटर पढ़ने के लिए स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह संस्थान दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता करने में मुख्यधारा के शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है।

(ख) से (घ): सरकार ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं:

I. **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)** के तहत **सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता (डीएएलएम परियोजना)** (पूर्व में ब्रेल प्रेस परियोजना) सुगम्य शिक्षण सामग्री नि:शुल्क प्रदान करती है। वर्ष 2014 में इसकी स्थापना के बाद से, 1,63,390 छात्रों को सुगम्य प्रारूपों में नि:शुल्क स्कूल पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। इस डीएएलएम परियोजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

   i. स्कूल जाने वाले दृष्टिबाधित बच्चों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों को नि:शुल्क सुगम्य शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए अनुमोदित कार्यान्वयन एजेंसियों को **आवर्ती सहायता-अनुदान** के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। इन सुगम्य प्रारूपों में ब्रेल पाठ्यपुस्तकें, टॉकिंग बुक्स, ई-पब/डिजिटल पुस्तकें और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें शामिल हैं।

   ii. निम्नलिखित के लिए **गैर-आवर्ती सहायता अनुदान** के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना:
      क) नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना और मौजूदा **ब्रेल प्रेसों** का आधुनिकीकरण।
      ख) **मौजूदा टॉकिंग बुक स्टूडियो** की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण।
      ग) नए **डिजिटल पुस्तक निर्माण केंद्रों** की स्थापना और मौजूदा केंद्रों का उन्नयन करना।
      घ) नए **बड़े प्रिंट निर्माण केंद्रों की स्थापना** और मौजूदा केंद्रों का आधुनिकीकरण।

II. **सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना** के अंतर्गत, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए ब्रेल लिपि के उपकरण प्रदान किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में, **50,457 दृष्टिबाधित व्यक्ति** लाभान्वित हुए हैं।

III. **दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना** का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और दिव्यांगजनों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार करना है। इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, **पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी** पोर्टल सितंबर 2023 में शुरू किया गया था। इसकी शुरूआत के बाद से:

   - **157 दृष्टिबाधितों और 29 निम्न दृष्टि वाले व्यक्तियों** ने कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
   - वर्तमान में **144 दृष्टिबाधितों तथा 10 निम्न दृष्टि वाले व्यक्ति** कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

IV. केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान और आरक्षण के संबंध में **दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिनांक 08.11.2024** को **दिशानिर्देश जारी किए।**

V. भारत में ब्रेल साक्षरता को और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:

- ब्रेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **सहायक प्रौद्योगिकी कक्ष** और प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना।
- ब्रेल साक्षरता बढ़ाने के लिए छात्रों और शिक्षकों के लिए अल्पकालिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- **शैक्षिक संस्थानों में ब्रेल साक्षरता के** बारे में जागरूकता बढ़ाना और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराने हेतु कंपनियों के सहयोग से जॉब फेयर का आयोजन करना।
- डेटा प्रविष्टि, सहायक प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कार्य और सामाजिक जीवन के लिए कौशल, और ब्रेल शॉर्टहैंड (हिंदी) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में **कौशल विकास कार्यक्रम** प्रदान करना, जिससे ब्रेल-संबंधी कौशल में दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
- एनआईईपीवीडी ने **26 नवंबर, 2024 को 'भारती ब्रेल पर मैनुअल'** जारी किया, जो शैक्षिक और व्यावसायिक सेटिंग्स में भारती ब्रेल की समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा।
- **4 जनवरी, 2025 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एनआईईपीवीडी ने 'एक मानक भारती ब्रेल कोड'** जारी किया, जिससे पूरे भारत में ब्रेल के उपयोग को और अधिक मानकीकृत किया गया।
- ब्रेल शिक्षण **विशेष शिक्षा (दृष्टिबाधित) कार्यक्रमों,** स्कूली शिक्षा और विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों का एक मुख्य घटक है, जिससे शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों पर लगभग **566 छात्र** लाभान्वित हुए हैं।

****